तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री बी.एल.मेहरडा, सदस्य** श्री प्रशांत सोनी, अभिभाषक प्रार्थीगण श्री अमृतपाल सिंह, अभिभाषक अप्रार्थी **आदेश** हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–230 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–8–04 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। निगरानी प्रार्थना पत्र अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादीगण प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत धारा 53, 88 एंव 188 न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीगंगानकर के समक्ष बाबत् निगरानी ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी मय प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया। दौराने वाद अप्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी प्रस्तुत कर विवादित आराजी चक 6 केआरडब्ल्यू के मु0नु053 के किला नंबर 15 खरीदे जाने के कारण मूल वाद में पक्षकार बनाये जाने तथा प्रार्थीया के हक तक विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने का निवेदन किया। उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर ने दोनों पक्षों को सुनकर आदेश दिनांक 11–5–04 द्वारा अप्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी स्वीकार करते हुये अप्रार्थीया की हद तक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश की। जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर ने आदेश दिनांक 16–8–04 द्वारा खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में पेश की गई है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहरात हुये बहस में कहा कि अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय न्याय, नियम व रिकोर्ड के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। किला नंबर 15 पर अप्रार्थीया जमना का कब्जाकाश्त नहीं रहा। दोनों अधीनस्थ न्यायालयें ने प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र को निरस्त करने में स्पष्ट त्रुटि की है। प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु होते हुये भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रार्थी के पक्ष में निषेधाज्ञा पारित नहीं की। एक पक्षकार अपने हिस्से की भूमि बेच सकता है और भूमि के अन्य काश्तकारों के साथ बंटवारा करवाये बिना कोई भी विशिष्ट किलाजात को बेचने का अधिकार नहीं रखता। यदि वह ऐसा करता है तो अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालयों का निर्णय पुलिस कार्यवाहीं के आधार पर है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर विवादित आराजी की यथास्थिति के आदेश दिये जावे। उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थी विवादित आराजी के रिकोर्डेड खातेदार एवं काबिजकाश्त है तथा रिकोर्डे खातेदार को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने नियमानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अप्रार्थीया की हद तक खारिज किया है। विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत निगरानी का दायरा अत्यन्त सीमित है और दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के साथ संलग्न दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का आद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	परीक्षण न्यायालय में अप्रार्थीया जमनादेवी मूल वाद में पक्षकार नहीं थी परंतु वादग्रस्त भूमि बलवीरकौर पत्नि लालसिंह से जरिये रजिस्ट्रर्ड बैयनामें से खरीद करने के बाद उसके द्वारा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थीया जमनादेवी को पक्षकार बनाया गया है। जमनादेवी को भूमि बेचने के बाद कब्जा संभला दिया गया था जिस पर वह काबिज थी। बैयानामे होने की दिनांक से ढाई वर्ष बाद तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाये बिना पूर्ववतः स्थिति बनी रही किंतु ढाई वर्ष बाद प्रार्थीगण ने जमनादेवी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो यह प्रदर्शित करता है कि प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आये है। जमनादेवी वादग्रस्त भूमि की सहखातेदार है तथा विगत कई वर्षो से मुरब्बा नंबर 53 के किला नंबर 15 पर काबिज काश्त है। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने की स्थिति में प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की अपूरणीय क्षति होने की संभावना नहीं मानी है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार को निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित नहीं मानते हुये प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु अप्रार्थीया जमनादेवी के पक्ष में मानते हुये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उसकी हद तक खारिज किया है। हस्तगत् प्रकरण में उक्त वर्णित विधिक स्थिति के विरूद्ध हमारे समक्ष ऐसा कोई तथ्य/दस्तावेज साबित करने में विफल रहे है, जिससे प्रकरण में निषेधाज्ञा पारित की जा सके। अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत निगरानी का दायरा अत्यन्त सीमित है और दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है, जिसमें विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप अपेक्षित हो। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत निगरानी खारिज किये जाने योग्य हैं।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	परिणामतः हस्तगत निगरानी एतद्द्वारा खारिज की जाती है। पत्रावली बाद फैसल शुमार दाखिल दफ्तर की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख लौटाया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(बी.एल.मेहरडा)** **सदस्य**	